

२५. 5. 18

पचावली कोर्ट केस आमलाग
में पेश/ लिजाप अलगा से लिखा जा
कर शामिल पचावली विधा गपा/
पचावली पेशला शुमार हे वर

मुमु माम

वि. गारप


नाम्बर से काम हे

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़


शुमार

वि. शुमार

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं हमीरगढ
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं हमीरगढ
पदेन सहायक कलक्टर